मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक 16/4/1991/10–2 भोपाल, दिनांक 13–6–2002

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– **संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियों के परिवारों को रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता।**

संदर्भ :– आपकी अशासकीय टीप क्रमांक 818 दिनांक 29–5–2002

––0––

वनों के संरक्षण एवं विकास में जन सहयोग प्राप्त करने के लिये वन विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 22–10–2001 की कंडिका 11.1.1 के अनुसार सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है।

2/ समितियों को दिये गये उपरोक्त अधिकार के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्धता का आशय समिति को आवंटित वन क्षेत्र में उपलब्ध निस्तारी वनोपज से है। अर्थात यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है तो समिति के सदस्यों को रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी। यदि किसी समिति क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रायल्टी देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग